राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप.9(6)राज–6/2000/10 जयपुर,दिनांक 7/9/17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भूमि को आबादी विकास के लिए जिला कलक्टर सेट अपार्ट कर सकता है। अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों की भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी के विकास हेतु सेटअपार्ट किया जा सकता है अथवा नही बाबत विधि विभाग से राय प्राप्त की गई।

विधि विभाग द्वारा इस संबध में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसार आबादी के विकास हेतु जिला कलक्टर द्वारा ऐसी सरकारी भूमि को भी सेटअपार्ट किया जा सकता है जिस पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से आवास बना रखा है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी सेट अपार्ट भूमि मे से विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानीय निकाय द्वारा नही किया जावे।

विधि विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त राय के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि मे से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते है।

उक्त क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र में सिवायक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक आवासगृह बनाकर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करेगे। सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो, जिला कलक्टर को भिजवायेगे।

2. दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न करावे जिससे यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.2017 से पूर्व से निवास कर रहा है।

3. जिला कलक्टर भूमि सेटअपार्ट करते समय यह ध्यान रखेगे कि जहां पर एक साथ बसावट हुई है उन भूमियों को ही आबादी विस्तार हेतु सेटअपार्ट करेगे। छितराई आबादी बसावट को सेटअपार्ट करने में सावधानी रखेगे ताकि अनावश्यक भूमि सेटअपार्ट नही हो।

4. जिला कलक्टर भूमि सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबन्द करेगे कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमे से जो भी कम हो, से अधिक भूमि का पटटा नहीं दिया जाये।

5. जिला कलक्टर संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में भी पटटा नहीं दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान हैं।

उक्त क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्न श्रेणी की भूमि को छोडते हुए ही धारा 92 के अन्तर्गत आबादी के विकास हेतु भूमि सेट अपार्ट की जाये:—

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2. किसी तालाब, नदी, नाला, नाडी के जलप्रवाह क्षेत्र में स्थित भूमि, ओरण व चरागाह भूमि।
3. विशिष्ठ नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि।
4. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—ए के अन्तर्गत अरबनाईजेबल लिमिट या पैराफेरी बैल्ट के अन्तर्गत स्थित भूमि।
5. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से निर्धारित मापदण्डों मे स्थित राजकीय भूमि।
6. डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
7. वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।
8. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
6. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव